सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

1–30 अप्रैल, 2024 वर्ष : 2 अंक : 1/2, (संयुक्तांक)

निःशुल्क प्रति

आधुनिक भारत के लिए

पुलिस प्रशिक्षण

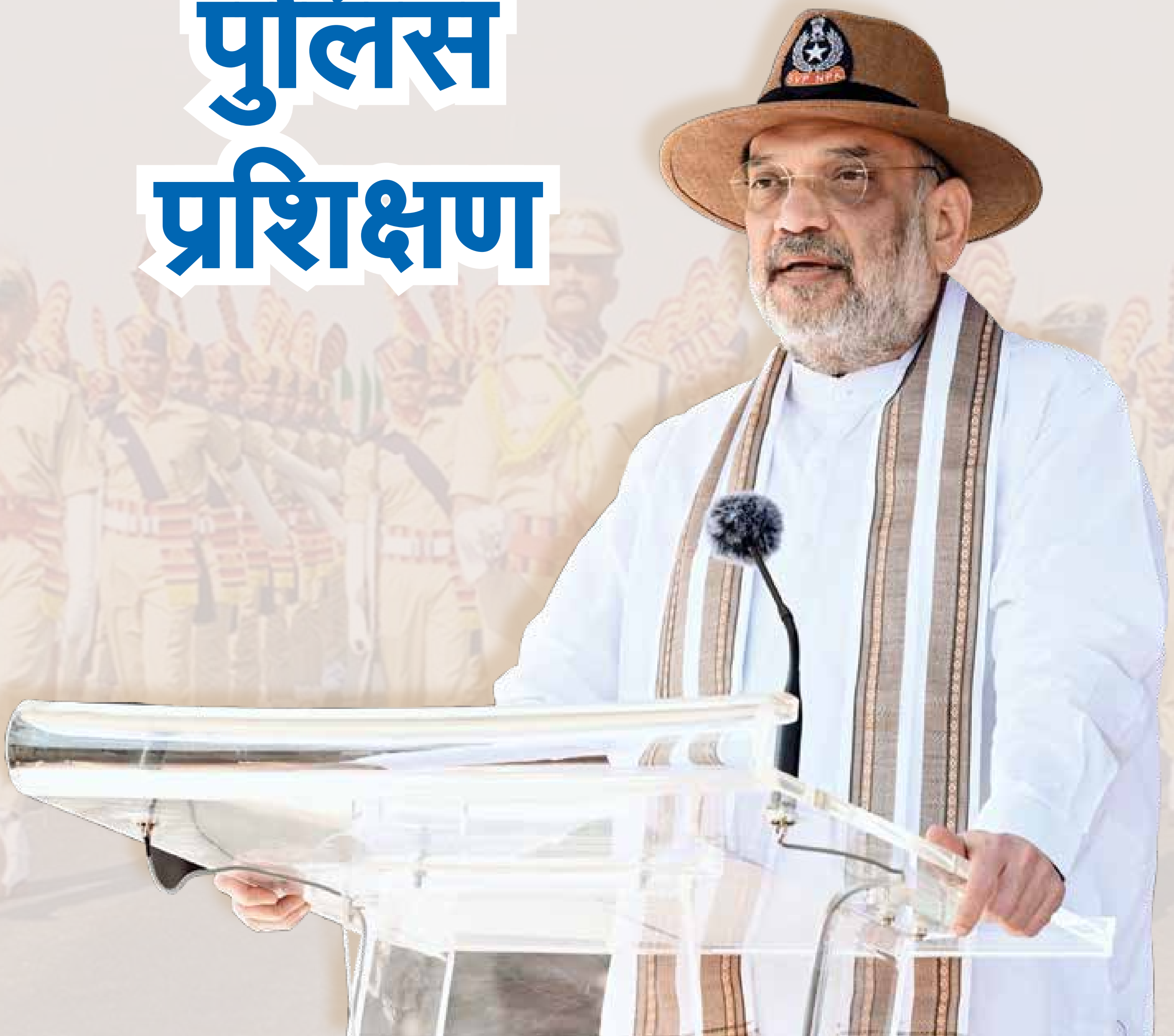

तनाव मुक्त प्रशिक्षण भी है जरूरी

अनुक्रमणिका

बुलंदियों पर हैं देश की ये अकादमियां	12
जरूरतों के अनुसार उम्दा प्रशिक्षण संस्थान	14
ड्रोन तकनीक में सुरक्षा बलों को होना होगा दक्ष	19
एनआईए को पहले से अधिक सक्षम बनाएगी नई डिजिटल केस...	20
तनाव मुक्त प्रशिक्षण भी है जरूरी	22
बेहतर कल के लिए करें इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश	25
बदलते मौसम में हर नागरिक की चिंता	26
सीमा की सुरक्षा और सामाजिक सरोकार भी	27
लोक शिकायत निवारण में गृह मंत्रालय ने की उत्कृष्टता हासिल	29
गेस्ट कॉलम	30

विशेष रिपोर्ट

05 आधुनिक भारत के लिए पुलिस प्रशिक्षण

10 काम ही है पहचान

16 पुलिस आधुनिकीकरण : बढ़ते अपराध से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा

संपादक की कलम से...

पुलिस बल संविधान द्वारा स्थापित नियमों और कानूनों के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बल को प्रभावी बनाने में प्रशिक्षण की भूमिका सर्वोपरि है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई वक्तव्यों में पुलिस प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही तनाव मुक्त प्रशिक्षण का सुझाव भी दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बुनियादी पुलिसिंग प्रथाओं के प्रति सचेत रहते हुए पुलिस प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

भारत में कई विश्व स्तरीय संस्थान हैं, जो विभिन्न रैंकों में पुलिस प्रशिक्षण के उद्देश्य को पूरा करते हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) हैदराबाद भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को उनके राज्य कैडर में सौंपे जाने से पहले प्रशिक्षण देने वाला देश का प्रमुख संस्थान है।

इसके अलावा, विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों में पुलिस कर्मियों के लिए लगभग 350 प्रशिक्षण संस्थान हैं। पुलिस प्रशिक्षण की अवधि और प्रक्रिया राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के विभिन्न विंगों में भिन्न होती है। आमतौर पर इसमें शारीरिक प्रशिक्षण, कानून और व्यवस्था, जांच के आधुनिक उपकरण तथा पुलिसिंग से संबंधित नियम एवं प्रथाएं शामिल होती हैं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तहत, भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करती है। अभियोजन, भीड़ नियंत्रण, संकट प्रबंधन, और सामुदायिक पुलिसिंग, जांच तकनीकों, अपराध की रोकथाम पर केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसी तरह, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता और गाजियाबाद में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) उप-निरीक्षक रैंक से लेकर पुलिस उपाधीक्षक रैंक तक के पुलिस अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रत्येक सीडीटीआई विशेष पुलिस विषयों जैसे साइबर अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नए युग के अपराध आदि पर प्रशिक्षण के लिए एक विशेष केंद्र है।

अब, सभी रैंकों के पुलिस प्रशिक्षण का एक प्रमुख फोकस उन्हें नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी साझा करना है, जो 1 जुलाई से देश भर में लागू होने जा रहा है। कई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नियमित रूप से नए आपराधिक कानूनों सहित सभी प्रकार के पुलिस प्रशिक्षण के लिए सामग्री प्रदान करता है और संचालित भी करता है।

'सजग भारत' का यह अंक केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में पुलिस प्रशिक्षण पहल पर केंद्रित है। हम आपकी टिप्पणियों और सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा ईमेल है—sajag-bharat@bprd.nic.in

जय हिंद!

महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> ‘ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई वक्तव्यों में पुलिस प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर जोर दिया है, साथ ही तनाव मुक्त प्रशिक्षण का सुझाव भी दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बुनियादी पुलिसिंग प्रथाओं के प्रति सचेत रहते हुए पुलिस प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। ’

More than tough decisions, I believe in taking the right decisions which are in the interest of our country.

Shri Narendra Modi
Prime Minister

दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं है शरिया और अगर शरिया मानते हो, तो पूरी तरह से मानो। चोरी करने पर हाथ काट दो, नशीले पदार्थों के सेवन पर कोड़े मारो...

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

दोगुना मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि से बढ़ाएंगे रोजगार-स्वरोजगार, एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों का मजबूत करेंगे व्यापार

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अन्न योजना, आयुष्मान योजना, स्वधन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीब, किसान व वंचित वर्ग का निरंतर उत्थान हो रहा है।

श्री निशिथ प्रामाणिक
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

इन 10 सालों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो देशहित में रहे। इस दौरान जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जैसे तमाम ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं। मोदी सरकार में न्याय व्यवस्था को सुधारने के क्रम में कई कानूनों को खत्म किया गया।

श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

President of India presents 3 Padma Vibhushan, 8 Padma Bhushan and 55 Padma Shri Awards for the year 2024 at Civil Investiture Ceremony-I held at Rashtrapati Bhawan

Ministry of Home Affairs
Government of India

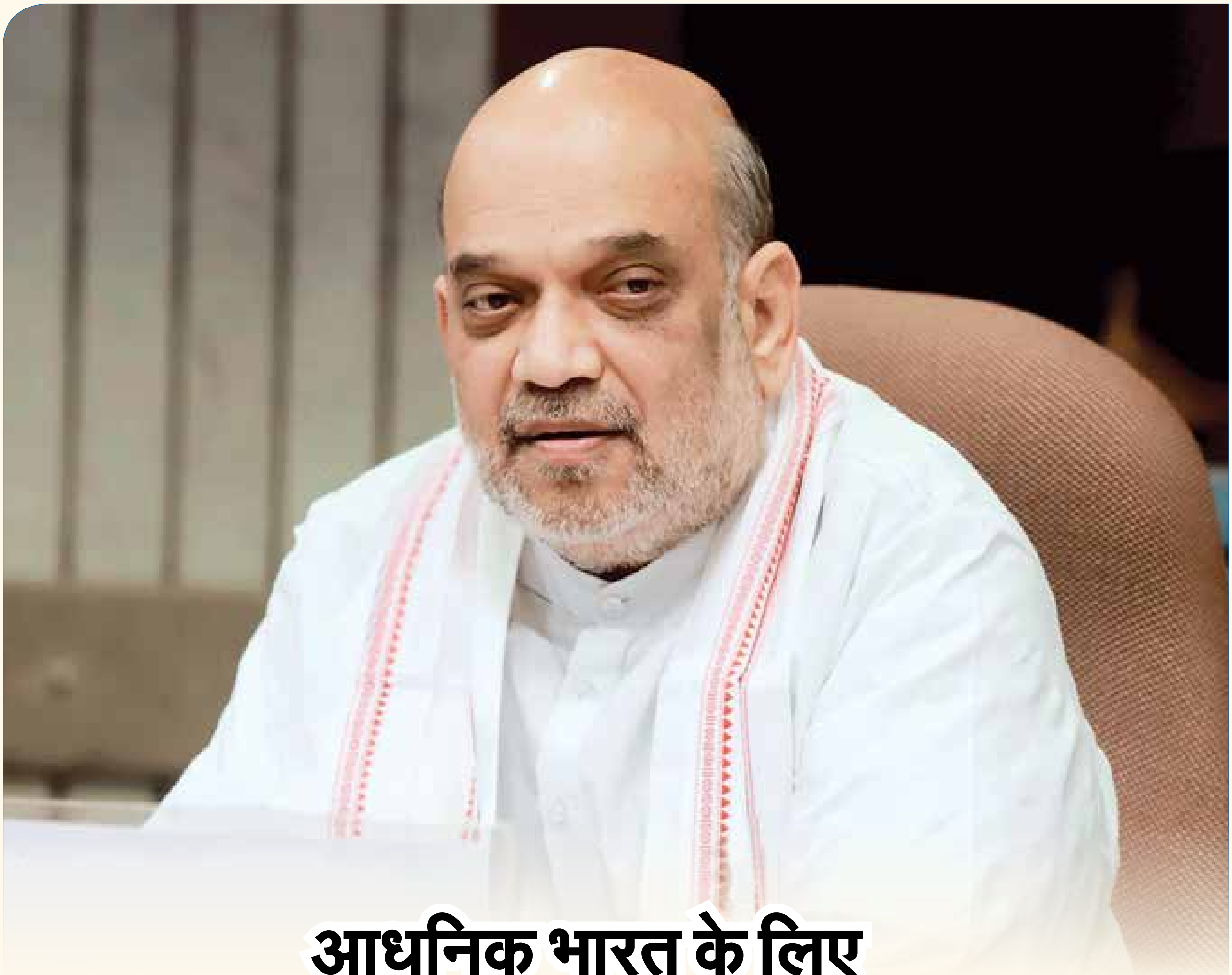

आधुनिक भारत के लिए
पुलिस प्रशिक्षण

ब्यूरो

पुलिस के प्रशिक्षण में समय के साथ बदलाव की आवश्यकता है। देशभक्ति, अनुशासन और संवेदनशीलता के भाव को जागृत करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुशिक्षित और संवेदनशील पुलिस बल देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नवीनतम ज्ञान, तकनीकी उपकरणों के साथ संवेदनशीलता और सामाजिक संज्ञान की दृष्टि से अपडेट किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय यह भी है कि वन डेटा, वन एंट्री के सिद्धांत के साथ केंद्र सरकार आंतरिक सुरक्षा के हर क्षेत्र

> पुलिस बलों के प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल समय की जरूरत है, लेकिन साथ ही बुनियादी पुलिसिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे व्यवहार में लाना चाहिए।
>
> **श्री अमित शाह**
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

भारत में पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर संचालित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों को विभिन्न वर्गों जैसे नागरिक पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल्स) की जरूरतों के अनुसार विभाजित किया गया है। वे पुलिस अधिकारियों को सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से समाज की सेवा करने के लिए अधिक पेशेवर रूप से तैयार करते हैं।

के लिए डेटाबेस बना रही है और उन्हें एकीकृत भी कर रही है। वर्तमान सरकार किसी भी स्थिति में आंतरिक सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहती है। इसके लिए जो भी अपेक्षित है, वह काम किया जा रहा है।

समय-समय पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने वक्तव्यों में इन बातों का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री का दायित्व संभालते ही श्री नरेन्द्र मोदी ने कई क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन करने की शुरुआत की थी। उसमें एक क्षेत्र देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालने वाले पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी था। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मानव और व्यवहारिक मनोविज्ञान का पुलिस प्रशिक्षण में विशेष महत्व है। पुलिस महकमे में गुणात्मक बदलाव की जरूरत है। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि पुलिस बलों को स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित करने चाहिए और ऐसा करने का एक तरीका समुदाय के लोगों की सफलताओं और उपलब्धियों को मनाने में उनका साथ देना है। जब लोग अपनी उपलब्धियों को मनाने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे, तो उनके मन में पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य के प्रति सम्मान और एक व्यापक समझ पैदा होगी। समुदाय के लोगों की पहचान पुलिस स्टेशनों से होनी चाहिए।

भारतीय पुलिस प्रशिक्षण को विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जाता है, और इसका प्रबंधन गृह मंत्रालय के अधीन रहता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करता है। इसमें पुलिस प्रशिक्षण की योजना और नीतियों का विकास और अनुपालन शामिल है। गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस प्रशिक्षण की नीतियों का समय-समय पर संशोधन किया जाता है, ताकि वे समय के अनुरूप और अनुप्रयुक्त रहें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी नवीनतम तकनीक और नैतिकता के साथ समर्थ हों, ताकि वे अपने कार्य को अधिक सफलता से निभा सकें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चरणबद्ध तरीके से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे देश की पुलिसिंग को नया आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए और प्रौद्योगिकी को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के अनुसार, पुलिसबलों के प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों का प्रयोग समय की मांग है, लेकिन इसी के साथ बेसिक पुलिसिंग पर भी फोकस होना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण में बदलाव लाना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि अपेक्षाओं को पूरा करने, कर्तव्यबोध और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ-साथ पुलिसकर्मियों पर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रभाव की समीक्षा भी की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लांच किए गए मिशन कर्मयोगी के तहत कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और डीएसपी स्तर तक पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण में संपूर्णता (होलिस्टिक अप्रोच) पर ध्यान देना चाहिए। गृहमंत्री ने प्रशिक्षण में सख्ती और संवेदनशीलता

एकरूपता है बेहद जरूरी

अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का पूरे देश की पुलिसिंग में दो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक समान चुनौतियों से निपटने के लिए देशभर की पुलिस के बीच समन्वय और दूसरा अपराधियों से दो कदम आगे बने रहने के लिए तकनीक का उपयोग। हमारे संविधान में पुलिस को राज्य का विषय माना गया है और संविधान बनने से लेकर आज तक देश की पुलिस के सामने कई बड़ी चुनौतियां आई हैं, क्योंकि अपराध की दुनिया में नए-नए आयाम भी जुड़ गए हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसमें देशभर की पुलिस को एकवाक्यता और एक-दूसरे के साथ सामंजस्य से काम करना होगा, अन्यथा इन चुनौतियों का सामना करना संभव नहीं है। दूसरी ओर, चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसीलिए पुलिस राज्य की चुनी हुई सरकार के निर्देशन में चलती है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती एकसमान रिस्पॉंस की है। उदाहरण के लिए उत्तरपूर्व के आठ राज्यों में अलग-अलग सरकारें हैं और अलग-अलग पुलिस है, लेकिन उनके सामने एक समान चुनौती हथियारबंद समूहों की है। वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्र में अलग-अलग राज्य हैं लेकिन चुनौती एकसमान है। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए समन्वय, नीति और एकवाक्यता की जरूरत है, अगर राज्य की पुलिस आइसोलेशन में काम करती है, तो इन सब चुनौतियों का हम ठीक से सामना नहीं कर पाएंगे। संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है लेकिन अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस और डीजी कांफ्रेंस जैसी बैठकों और व्यवस्था के माध्यम से कुछ राज्य मिलकर यहां अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं की चर्चा करके एक समान नीति बना सकते हैं।

दोनों पर जोर दिया और कहा कि आधुनिक तकनीकों के साथ–साथ पुलिस बलों में देशभक्ति, फिटनेस, अनुशासन, संवेदनशीलता और आत्म–समर्पण की भावना पैदा करने की आवश्यकता है।

19 जुलाई, 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय, केन्द्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय पुलिस बलों एवं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों ने भाग लिया। इस दौरान श्री अमित शाह ने कहा था कि सभी पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण का 60 प्रतिशत सबके लिए समान होना चाहिए, जबकि 40 प्रतिशत ट्रेनिंग बल–आधारित होनी चाहिए जिससे हम अपनी प्रशिक्षण क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे। श्री अमित शाह ने उम्मीदों, कर्तव्य की भावना और लक्ष्यों की उपलब्धि को पूरा करने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली के अलावा सभी स्तरों पर पुलिसकर्मियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के प्रभाव की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सुरक्षा चुनौतियों की लगातार बदलती प्रकृति के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए पुलिसकर्मियों की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए सही समय पर सही प्रशिक्षण के महत्व पर बल देते हुए केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान हाइब्रिड लर्निंग और उभरते प्रशिक्षण प्रतिमानों, प्रशिक्षण पद्धतियों और तकनीकों के सापेक्ष गुणों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षण संसाधनों की उत्पादकता के अलावा अन्य शामिल हैं। प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण, प्रशिक्षण संसाधनों की उत्पादकता, प्रशिक्षकों के विकास, सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार, अनुसंधान और प्रकाशन, मानकीकरण के महत्व, हाइब्रिड लर्निंग और उभरते प्रशिक्षण प्रतिमानों का तुलनात्मक लाभ, प्रशिक्षण पद्धतियों और तकनीकों अध्ययन सामग्री, ई–सामग्री, प्रशिक्षण मूल्यांकन में सर्वोत्तम अभ्यास, प्रशिक्षण अवसंरचना विकास, प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार, आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण में नई पहल तथा नवाचार आदि विषयों पर चर्चा की गई।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने शीर्ष पुलिस नेतृत्व से देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने में अपना दृष्टिकोण बदलने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया और कांस्टेबुलरी के निचले पुलिस रैंक से लेकर उच्च पदों की व्यवस्थाओं तक इसे लागू करने का सुझाव दिया। अपराधी दुनियाभर की नई तकनीक से लैस होते जा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि पुलिस अपराधी से दो कदम आगे रहे और इसके लिए पुलिस को भी आधुनिक, टेक–सेवी बनना होगा और तकनीक के उपयोग का बीट तक

परकोलेशन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि जब तक कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल तक तकनीक का उपयोग नहीं पहुंचता तब तक हम नए प्रकार के अपराधों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। इसके लिए भी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो लगातार पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। बीते पांच वर्षों के आंकड़ों को देखें, तो 31 मार्च,2024 तक ब्यूरो ने कुल 2252 पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। इसमें कुल 1,64,045 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी-भोपाल, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान-चंडीगढ, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान-हैदराबाद, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान-बेंगलुरू, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान-जयपुर, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान-कोलकाता, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान-गाजियाबाद के जरिए यह पाठ्यक्रम चलाया।

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग, सीसीटीएनएस और आईसीजेएस की भूमिका और अमृत काल में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन नये कानूनों के साथ एक नये युग में प्रवेश कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में गृह मंत्रालय ने देश में कानून- व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई बदलाव किए हैं। पहली जुलाई, 2024 से यह पूरे देश में लागू हो रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से व्यापक पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पुलिस अनसुंधान एवं विकास ब्यूरो की ओर से राज्य पुलिस और केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस बलों के साथ ही जेलकर्मियों, सरकारी वकील, न्यायिक अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी नए कानून की समुचित जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में बुकलेट के जरिए भी जन-जन तक सूचना उपलब्ध कराई जा रही है।

पर्याप्त प्रशिक्षण के बाद पुलिस बलों के जवानों को तनावमुक्त माहौल मिले और उनके परिवारों की चिंता भी सरकार की ओर से की गई। जवानों की ड्यूटी के बोझ को कम करने और उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने की अवधि को बढ़ाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं

को लागू किया गया है। सरकार ने हर जवान को अपने परिवार के साथ हर साल कम से कम 100 दिन बिताने की व्यवस्था बनाई है। अगस्त, 2019 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी रैंकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 57 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 2021 में पी.ई.टी. के समय गर्भवती होने पर महिला उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया। उनकी नियुक्ति अब प्रेग्नेंसी के पूरा होने और शारीरिक दक्षता परीक्षा पी.ई.टी. के लिए पुनः परीक्षा तक स्थगित कर दी गई है। पीईटी में, यदि फिट पाए जाते हैं, तो उन्हें वरिष्ठता के लाभ के साथ उसी पद पर नियुक्त किया जाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के सभी पहलुओं को मजबूत करके एक सुरक्षित राष्ट्र सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। 25 अगस्त, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2023 के समापन सत्र के दौरान भी इस बात को दोहराया था। श्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने में एक क्रांतिकारी रुख अपनाने का सुझाव देते हुए पुलिस व्यवस्था में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने पुलिस नेतृत्व से, पुलिस कांस्टेबल से लेकर उच्च पदों तक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने जांच तथा अभियोजन की पूरी प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन के महत्व को रेखांकित करते हुए नवगठित आपराधिक न्याय व्यवस्था की भविष्य की मांग के अनुसार पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई पहलों को भी सूचीबद्ध किया। उन्होंने यह उल्लेख भी किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवसर के साथ-साथ एक खतरा भी है और पुलिस को इसका लाभ उठाते समय इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। श्री अमित शाह ने प्रतिभागियों से अगले 25 वर्षों में कड़ी मेहनत करने के लिए भी कहा ताकि 2047 तक भारत को अग्रणी देश बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सपने को साकार किया जा सके। गृह मंत्री ने अन्य दूसरे देशों से सीख लेने के महत्व का सुझाव देते हुए प्रतिभागियों से अगले 25 वर्षों में एक उदाहरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ताकि अन्य देश भी हमसे कुछ सीख सकें।

काम ही है पहचान

ब्यूरो

जैसा समय, वैसा प्रशिक्षण। जिस प्रकार की चुनौतियां आती जाती हैं, पुलिसकर्मी और अधिकारियों को देश की प्रशिक्षण अकादमी उसी अनुरूप में आधुनिकतम तकनीकी और मानसिक रूप से दक्ष बनाती है।

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमीः सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए), जिसे पहले हैदराबाद में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के रूप में जाना जाता था, एक प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। 1948 में स्थापित, यह भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कानून प्रवर्तन, जांच तकनीकों, नेतृत्व और नैतिकता में कठोर प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के लिए अधिकारियों को तैयार करने के लिए शैक्षणिक और शारीरिक प्रशिक्षण का संयोजन करता है। एसवीपीएनपीए पुलिसिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के अधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम और सेमिनार भी आयोजित करता है।

नवनियुक्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एक फाउंडेशन कोर्स से गुजरते हैं, जिसमें शारीरिक फिटनेस, अभ्यास और शैक्षणिक प्रशिक्षण शामिल होता है, जिसमें अनुशासन, सहनशक्ति और बुनियादी पुलिसिंग कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अकादमी समसामयिक चुनौतियों और उभरते खतरों से निपटने के लिए आतंकवाद विरोधी, साइबर अपराध, वीआईपी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में विशेष पाठ्यक्रम भी प्रदान करती है। शारीरिक प्रशिक्षण पर जोर यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी सेवा की भौतिक मांगों के लिए तैयार हैं, जबकि नैतिकता और मानव अधिकारों पर मॉड्यूल नागरिकों के अधिकारों के लिए अखंडता और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। अकादमी पुलिसिंग में नवीनतम तकनीक को शामिल करती है, जिसमें डिजिटल उपकरण, डेटा विश्लेषण और निगरानी प्रणाली शामिल हैं। व्यापक प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अच्छी तरह से सुसज्जित, सक्षम और अकादमी के आदर्श वाक्य, 'सत्यमेव जयते' (सत्य की ही जीत होती है) के अनुरूप, व्यावसायिकता और समर्पण के साथ सेवा करने के लिए तैयार हैं।

स्थापना काल से ही पेशेवरों को प्रशिक्षित करना और उनमें हर मुश्किलों से जूझने का जज्बा पैदा करना पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों की खासियत रही है।

ग्रेहाउंडः ग्रेहाउंड्स एक विशिष्ट उग्रवाद विरोधी बल है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सक्रिय है। 1989 में स्थापित, ग्रेहाउंड्स इन राज्यों के घने जंगली क्षेत्रों और कठिन इलाकों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन से निपटने में अपनी प्रभावशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं।

ग्रेहाउंड कर्मियों का चयन एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से किया

जाता है, जो नक्सल विरोधी अभियानों के लिए शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता और योग्यता का आकलन करता है। सदस्यता आमतौर पर स्वैच्छिक होती है, अधिकारी और कर्मी अपनी प्रतिबद्धता और उच्च जोखिम वाले कार्यों की इच्छा के कारण इसमें शामिल होने का विकल्प चुनते हैं। रिकरूटों को सहनशक्ति, ताकत और सहनशक्ति बढ़ाने के लिए कठोर शारीरिक कंडीशनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें लंबी दूरी की दौड़, बाधा कोर्स और सरवाइवल प्रशिक्षण शामिल हैं। प्रशिक्षण में निकट-सीमा में युद्ध की तैयारी के लिए आमने-सामने की लड़ाई, मार्शल आर्ट, आई. ई. डी. प्रशिक्षण और हथियार संचालन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है।

उग्रवाद-रोधी प्रशिक्षण में गुरिल्ला युद्ध तकनीक, घातक रणनीति और जंगली तथा ऊबड़-खाबड़ इलाकों के लिए डिजाइन की गई छोटी इकाई के संचालन शामिल हैं, जहां नक्सली विद्रोही सक्रिय होते हैं। इसमें रात में कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाता है, जिसमें नेविगेशन, गुप्त आवाजाही और नाइट विजन इक्यूपमेंट प्रबंधन शामिल है। कौशल प्रशिक्षण में घने जंगलों और प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने, चारा खोजने, आश्रयों का निर्माण और प्राथमिक चिकित्सा की तकनीकें शामिल हैं। रिकरूटों को बचने और भागने, चुपचाप आगे बढ़ने और शत्रुतापूर्ण स्थितियों से बचने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। खुफिया जानकारी एकत्र करना और टोही मिशन महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनमें निगरानी उपकरण और विद्रोही आंदोलनों का विश्लेषण शामिल है।

पंजाब पुलिस अकादमी : 1891 में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के रूप में अपनी स्थापना के बाद से, जो पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में विकसित हुआ, उसे अब पंजाब पुलिस अकादमी के रूप में जाना जाता है। इस प्रतिष्ठित संस्थान ने लगातार वैश्विक मान्यता अर्जित करते हुए मूल्यों और परंपराओं की समृद्ध विरासत को बरकरार रखा है। पंजाब पुलिस अकादमी ने पुलिस प्रशिक्षण मानकों को ऊपर उठाने और बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया है, जिसका लक्ष्य हमेशा बदलते सामाजिक परिदृश्य से उत्पन्न नई चुनौतियों के लिए पुलिस कर्मियों को तैयार करना है। अकादमी बहादुरी, प्रभावी और पेशेवर आचरण और बौद्धिक विकास के आदर्श स्थापित करती है, साहस और मूल्यों की सदियों पुरानी परंपरा को मजबूत करती है जिसके लिए पंजाब पुलिस प्रसिद्ध है।

न केवल पंजाब बल्कि केंद्रीय पुलिस संगठनों के साथ-साथ 12 अन्य भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सेवा करते हुए, पीपीए भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान और फिलिस्तीन जैसे देशों के अंतरराष्ट्रीय पुलिस कर्मियों को अपनी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अकादमी अनुसंधान, शिक्षाविदों और विशेष प्रशिक्षण में ब्रिटिश और इथियोपियाई पुलिस संगठनों के साथ सहयोग करती है।

अकादमी अत्याधुनिक प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे, आधुनिक सुविधाओं और विशेष पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। विशेष रूप से, यह गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के सहयोग से पुलिस प्रशासन में एमए, एमफिल और पीएचडी डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने वाला देश का पहला पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है।

कोलकाता पुलिस प्रशिक्षण अकादमी: ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित और 2018 में बदला गया कोलकाता पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में महत्वपूर्ण विकास किया गया है। इसे अरुपारा, हावड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 1 दिसंबर, 2018 को इसका संचालन शुरू हुआ। अकादमी ने कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण में अपने योगदान के लिए मान्यता अर्जित की है। यह उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है, नेतृत्व और नैतिक पुलिसिंग को बढ़ावा देता है। संस्था अधिकारियों को नवीनतम पुलिसिंग तकनीकों, प्रौद्योगिकी और कानूनी ढांचे से अपडेट रहकर जटिल और उभरते अपराधों से निपटने के लिए तैयार करती है। विशिष्ट सेवाकालीन प्रशिक्षण में साइबर अपराध जांच, आतंकवाद विरोधी, भीड़ नियंत्रण, फोरेंसिक विज्ञान और यातायात प्रबंधन पर मॉड्यूल शामिल हैं। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अपराध प्रवृत्तियों, कानूनी संशोधनों, तकनीकी प्रगति और सर्वोत्तम प्रथाओं पर नियमित अपडेट प्रदान करते हैं।

उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी: उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी (एनईपीए), जो पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज था, ने जुलाई 1978 में परिचालन शुरू किया था। मेघालय के री-भोई जिले में स्थित, यह 976 मीटर की ऊंचाई पर एक सुंदर 205 एकड़ परिसर में है। यह पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता के मूल्य को बनाए रखने, नागरिकों को आपराधिक कृत्यों और अपराधियों से बचाने के लिए एवं शिक्षित करने के लिए समर्पित है। संस्था न्यायसंगत, प्रभावी और संवेदनशील पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सहायक निरीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पूर्वोत्तर राज्यों से सीधे भर्ती किए गए पुलिस अधिकारियों को अकादमी में एक वर्ष का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों के पुलिस कर्मियों के लिए विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम पुलिस अधिकारियों और न्यायपालिका, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल , जेल विभाग और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच घनिष्ठ बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं।■

बुलंदियों पर हैं देश की ये अकादमियां

देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस बलों के सहयोग से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर है। सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर मजबूत उपस्थिति बनाए रखते हैं। इन बलों को देश की शीर्ष अकादमियों में प्रशिक्षण मिलता है।

ब्यूरो

देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आंतरिक हो या बाह्य, हमारी पुलिस और सुरक्षा बल हमेशा मुस्तैद रहते हैं। पुलिस बल और सशस्त्र बलों में भर्ती होने के साथ ही कर्मियों और अधिकारियों को अलग-अलग संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाता है। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का अपना प्रशिक्षण संस्थान है। इसके साथ ही पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है।

भारतीय तिब्बत सीमा पुलिसः भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी, मसूरी की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। सहायक कमांडेंट रैंक के सीधे भर्ती किए गए अधिकारी, जो बल के वरिष्ठ नेतृत्व का गठन करते हैं, को इस अकादमी में प्रशिक्षित किया जाता है। इन अधिकारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के अलावा, अकादमी ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, रॉक क्लाइम्बिंग, वीआईपी सुरक्षा और आई.ई.डी. की पहचान और प्रबंधन जैसे विषयों में विशेषज्ञता विकसित की है। साथ ही अकादमी में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन कोर्स और पदोन्नति कोर्स भी आयोजित होते हैं। इसमें एक अनुसंधान और विकास विंग भी है, जो बल की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने में माहिर है। यह मसूरी में स्थित है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलः केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी गुरुग्राम में स्थित है। यह अकादमी उन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में महत्तवपूर्ण भूमिका निभाती है, जो आंतरिक सुरक्षा ग्रिड को गतिशील रूप से मजबूत रखने में बहादुरी और बलिदान की निरंतर गाथा बनाने के लिए विभिन्न थिएटरों में नेतृत्व करते हैं। यह ऐसी संस्था है, जो वर्तमान और भविष्य की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिकारियों को तैयार और प्रशिक्षित करती है। इसका उद्देश्य लगातार इन अधिकारियों को युद्धकला में तैयार करने, मानव संसाधनों के प्रबंधन और लड़ाकू रसद पर केंद्रित है।

सशस्त्र सीमा बलः सशस्त्र सीमा बल के विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में मई 1963 में स्थापित किया गया था, 1962 में चीनी (आक्रमण के बाद). सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय (2001 जनवरी) के मंत्रालय के तत्वाधान में आया था।

बल कर्मियों को काउंटर सबवर्जन, सीमा प्रबंधन, धारणा प्रबंधन, और उत्तरजीविता और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर निम्नलिखित पांच प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी अकादमी फ्रंटियर अकादमी ग्वालदम/श्रीनगर, उत्तरांचल, प्रशिक्षण केंद्र सलोनीबारी असम, प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी हिमाचल प्रदेश, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल (आई.टी.एस.), घिटोरनी दिल्ली और संचार प्रशिक्षण केंद्र कुसुम्पटी हिमाचल प्रदेश में है।

सीमा सुरक्षा बलः सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) अकादमी, टेकनपुर, मध्यप्रदेश, फरवरी 1966 में बीएसएफ प्रशिक्षण स्कूल के रूप में अस्तित्व में आई। 21 नवंबर 1966 को इसका नाम बदलकर बीएसएफ अकादमी कर दिया गया। यह सभी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों का अल्मा मेटर है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिजी, इंडोनेशिया, केन्या, म्यांमार, मंगोलिया, मलेशिया, मॉरीशस, नेपाल, स्विट्जरलैंड और सिएरा लियोन जैसे विभिन्न देशों के विशेष सुरक्षा बलों को अच्छे विदेशी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ अकादमी में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलः तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी और आधुनिक औद्योगिक विकास के साथ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं में बदलाव किया है। इसमें सुरक्षा प्रणाली की व्यावसायिकता को बढ़ाना और इसके कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण, ज्ञान और प्रबंधकीय कौशल को उन्नत करना शामिल है। सीआईएसएफ प्रशिक्षण कॉलेज जिसे राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी (NISA) के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है।

एनएसजीः 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संघीय बल बनाने का निर्णय लिया, जिसमें ऐसे कर्मी शामिल होंगे जो आतंकवाद की विभिन्न अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए अत्यधिक प्रेरित, विशेष रूप से सुसज्जित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों। मानेसर में स्थित देश का एकमात्र नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) ट्रेनिंग सेंटर में देश की सुरक्षा को और मजबूत करने पर काम हो रहा है। एनएसजी की काली वर्दी और बिल्ली जैसी चपलता के चलते इसके कमांडोज को 'ब्लैक कैट' भी कहा जाता है। हर किसी को ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता है। कुछ ही लोग चयनित होते हैं, जिन्हें हरियाणा के मानेसर स्थित देश के एकमात्र एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर में इसके लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है।

असम राइफल्सः असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल शोखुवी को उसके व्यापक कार्यक्रमों, समर्पित संकाय, नवाचार और आधुनिक सुविधाओं

के लिए सराहना की जाती है। यह पुरस्कार न केवल उनकी उपलब्धियों का सम्मान करता है बल्कि देश भर में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उच्च मानक भी स्थापित करता है।

सीबीआई प्रशिक्षण केंद्रः सीबीआई एकेडमी, सीबीआई के लिये एक प्रशिक्षण संस्थान है, जो भारत की प्रमुख जाँच एजेंसी है। सीबीआई एकेडमी की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी और यह गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य राष्ट्र की सेवा के लिये व्यावसायिकता, निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण का उच्च स्तर प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरोः केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। अपराध रिकार्ड, अपराध की रोक-थाम एवं नियंत्रण के लिए पुलिस कार्यप्रणाली की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारतीय पुलिस कई वर्षों से, अपराध रिकार्ड प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना चाहती है जिससे वे अपने दायित्वों को बेहतर गुणवत्तापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से निभा सके। वर्तमान में अपराध रिकार्ड शाखा, केन्द्रीय अंगुलि छाप ब्यूरो, सांख्यिकीय शाखा, प्रणाली विकास शाखा, राज्य कार्यान्वयन शाखा, प्रणाली अनुरक्षण शाखा आदि के आंकड़े को लेकर जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरोः 28 अगस्त 1970 को स्थापित पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने पुलिस अनुसंधान एवं सलाहकार परिषद (1966) का स्थान लिया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना था। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तहत, भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करती है। अभियोजन, भीड़ नियंत्रण, संकट प्रबंधन, और सामुदायिक पुलिसिंग, जांच तकनीकों, अपराध की रोकथाम पर केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसी तरह, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता और गाजियाबाद में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) उप-निरीक्षक रैंक से लेकर डिप्टी एसपी रैंक तक के पुलिस अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ■

जरूरतों के अनुसार उम्दा प्रशिक्षण संस्थान

देश में समय के साथ पुलिसिंग व्यवस्था को समर्थ बनाने के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार ने यहां जरूरतों के हिसाब से उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों का उद्देश्य समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना, पुलिसिंग और आपराधिक न्याय में कुशल पेशेवरों को विकसित करना है।

ब्यूरो

राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश भर में पुलिस प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इन प्रयासों के केंद्र में पुलिसिंग, आपराधिक न्याय, और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न विंगों में उच्च गुणवत्ता वाली प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने की सोच रही।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू), गाधीनगर की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के सरकार के चल रहे मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाती है। एक अक्टूबर, 2020 को अपना परिचालन शुरू करने वाली इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। 2010 में गुजरात सरकार द्वारा शुरू में स्थापित पूर्व रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है, जो इसकी भूमिका और महत्व को दर्शाता है। यह संस्थान सुरक्षा और रक्षा अध्ययन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बन गया है। आरआरयू पुलिसिंग, आपराधिक न्याय, और सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करता है। इसमें साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक विज्ञान, आतंकवाद विरोधी अध्ययन, और सामरिक सुरक्षा शामिल हैं।

संस्थान विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 12 मार्च, 2022 को आरआरयू भवन के लोकार्पण समारोह और विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के दौरान भारत की रक्षा और सुरक्षा प्रणालियों के भविष्य को आकार देने में संस्थान की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने उन्नत शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से नए आत्मविश्वास और क्षमताओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आरआरयू की दृष्टि को 'देश का गहना' बताया। आरआरयू की स्थापना और इसके महत्व को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने उन्नत शिक्षा, अनुसंधान, और प्रशिक्षण के माध्यम से नए आत्मविश्वास और क्षमताओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वर्तमान में, 18 राज्यों के 822 छात्र इन कार्यक्रमों में नामांकित हैं, जो

विश्वविद्यालय की व्यापक पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। यह संस्थान सुरक्षा और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत निर्णयों को सशक्त बनाने में मदद मिलती है। उत्कृष्टता के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता इसकी अत्याधुनिक सुविधाओं, अनुभवी संकाय और शिक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण से प्रमाणित होती है। आरआरयू का लक्ष्य रक्षा और सुरक्षा प्रबंधन में आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम पेशेवरों को विकसित करना है।

पिछले साल जुलाई में, आरआरयू ने एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर गुरुग्राम में आयोजित जी20 सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें देश भर में साइबर लचीलापन और डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सम्मेलन में साइबर वालंटियर्स स्क्वाड लॉन्च करके एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो छह अन्य संस्थानों के साथ आरआरयू छात्रों के नेतृत्व में एक पहल है। इन साइबर योद्धाओं को साइबर जागरूकता बढ़ाने, हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से निपटने और देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने का काम सौंपा गया है।

नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज: भारत में अग्नि सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण में नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज (एनएफएससी) एक अग्रणी संस्थान है। 1956 में अपनी स्थापना के बाद से, एनएफएससी ने हजारों अग्निशमन सेवा पेशेवरों के करियर को आकार देकर भारत की अग्निशमन सेवाओं की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित, कॉलेज अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया में व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

एनएफएससी बैचलर ऑफ फायर इंजीनियरिंग, चार साल की डिग्री प्रदान करता है जो छात्रों को आवश्यक तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से लैस करता है। यह नेतृत्व, प्रबंधन और उन्नत अग्निशमन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वरिष्ठ अग्निशमन सेवा अधिकारियों के लिए विशेष डिप्लोमा पाठ्यक्रम और उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है। कॉलेज के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे में वास्तविक जीवन में आग के परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए फायर ड्रिल टावर, धुएं से भरे वातावरण में नेविगेट करने के लिए धुआं कक्ष, और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और फायर टेंडर शामिल हैं। जैसे-जैसे आग और आपदा की घटनाएं बढ़ती हैं, एनएफएससी रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों सहित उभरते खतरों से निपटने के लिए अपने पाठ्यक्रम को लगातार अपडेट करता रहता है।

राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), जिसे पहले गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (GFSU) के नाम से जाना जाता था, फोरेंसिक विज्ञान और इससे संबंधित विषयों के लिए समर्पित दुनिया का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है। इसकी कल्पना श्री नरेंद्र मोदी ने 2008 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानक की उच्च शिक्षा का संस्थान बनने और दुनिया भर में फोरेंसिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भारी कमी को पूरा करने के लिए की थी। यह 11 फरवरी, 2009 को गांधीनगर, गुजरात में डॉ जेएम व्यास को इसके पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के साथ अस्तित्व में आया। 1 अक्टूबर 2020 को, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पदोन्नत किया और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की।

राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में फोरेंसिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक, व्यवहार विज्ञान, फोरेंसिक मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, प्रबंधन अध्ययन, पुलिस विज्ञान और सुरक्षा अध्ययन, मेडिको-लीगल अध्ययन, कानून फोरेंसिक न्याय और नीति अध्ययन, डॉक्टरेट अध्ययन और अनुसंधान, और ओपन लर्निंग के व्यापक शैक्षणिक विषयों में फैले विभिन्न स्कूल और केंद्र शामिल हैं। वर्तमान में, विश्वविद्यालय 70 से अधिक स्नातकोत्तर और साथ ही एकीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह देश के साथ-साथ विदेशों में भी विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना या उन्नयन में विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय में कुछ अद्वितीय और अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे हैं, जिनमें साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता केंद्र, बैलिस्टिक्स अनुसंधान केंद्र और परीक्षण रेंज, भविष्य रक्षा अध्ययन केंद्र, डीएनए फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र, कल्याण केंद्र, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) के लिए उत्कृष्टता केंद्र और डिजिटल फोरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा, यह पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, सशस्त्र बलों, शिक्षाविदों, वित्त, बैंकिंग आदि जैसे विविध क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए कई अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। परिणामस्वरूप, 2009 से, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने 75 विभिन्न देशों के 5000 से अधिक अधिकारियों सहित 25000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।■

पुलिस आधुनिकीकरण: बढ़ते अपराध

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पुलिस बलों के प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण पर खासा ध्यान देने के साथ पुलिस की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई काम किये हैं। इस कड़ी में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना को 2021-26 के लिए ₹26,275 करोड़ के परिव्यय के साथ बढ़ाया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पुलिस बलों को आधुनिक, तकनीक-प्रेमी और अच्छी तरह से प्रशिक्षित होकर अपराधियों से हमेशा आगे रहने के महत्व पर जोर दिया है।

ब्यूरो

अपराध के उभरते परिदृश्य और अपराधियों द्वारा लगातार नई तकनीकों को अपनाने के मद्देनजर, नई तकनीक में पुलिस प्रशिक्षण का महत्व तेजी से स्पष्ट हो गया है। अपराधियों द्वारा अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उन्नत उपकरणों और प्लेटफार्मों का लाभ उठाने के साथ, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और उभरते खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, भारत सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका अपेक्षित परिणाम मिल रहा है। प्रभावी अपराध रोकथाम और जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बलों को आधुनिकतम तकनीकी प्रगति को नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना महत्वपूर्ण है।

इस बात को रेखांकित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भर में अपराधियों को नई तकनीक से लैस किया जा रहा है। उन्होंने आधुनिक, तकनीक-प्रेमी बनने और बीट स्तर तक प्रौद्योगिकी की पहुंच सुनिश्चित करके पुलिस को अपराधियों से दो कदम आगे रहने के महत्व पर बल दिया। 22 अप्रैल, 2022 को भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के दौरान उन्होंने कहा था कि जब तक प्रौद्योगिकी का उपयोग कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तक नहीं पहुंचता, हम नए प्रकार के अपराधों से नहीं लड़ सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने नए अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और उनके प्रशिक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने वार्षिक समीक्षा के साथ 10-वर्षीय पुलिसिंग रणनीति की वकालत की। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक अपराधों के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण, बेहतर प्रशिक्षण और राज्य और राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर

से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा

> दुनिया भर के अपराधी नई तकनीक से लैस हो रहे हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पुलिस अपराधियों से दो कदम आगे रहें। इसके लिए पुलिस को भी आधुनिक और टेकसेवी बनाना होगा। बीट स्तर तक तकनीक का उपयोग करना होगा।
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

समन्वय की आवश्यकता होती है। डेटा-संचालित पुलिसिंग के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि डेटा नया विज्ञान है और बिग डेटा सभी समस्याओं का समाधान है।

इन उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 14 फरवरी, 2022 को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) के लिए योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी। भारत सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना को 2021-26 के लिए 26,275 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बढ़ाया है। इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण पर प्रमुख ध्यान केंद्रित करते हुए पुलिस बलों की क्षमताओं को बढ़ाना है। एमपीएफ योजना के तहत, पुलिस बलों को अत्याधुनिक उपकरण, तकनीकी संसाधन और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य पुलिस बलों की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है, जिससे वे तेजी से और प्रभावी ढंग से अपराधों का मुकाबला कर सकें। इस योजना से देश की आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी, और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कुल मिलाकर, एमपीएफ योजना का विस्तार भारत की पुलिस बलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे बदलते समय और चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।

एमपीएफ योजना की मुख्य विशेषताओं में आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, आधुनिक तकनीक को अपनाना, नशीले पदार्थों के नियंत्रण के लिए सहायता और एक मजबूत फोरेंसिक सेटअप के माध्यम

से आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। यह योजना राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए ₹4,846 करोड़ और वैज्ञानिक और समय पर जांच का समर्थन करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं के विकास के लिए ₹2,080.50 करोड़ आवंटित करती है।

उल्लेखनीय है कि 2017-18 से 2019-20 के दौरान कार्यान्वयन के लिए पहली बार 27 सितंबर, 2017 को मंजूरी दी गई, एमपीएफ योजना का प्रारंभिक परिव्यय ₹25,061 करोड़ था, जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी ₹18,636 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी ₹6,425 करोड़ थी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)। केंद्रीय बजट में आवंटित धनराशि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच पूर्व-निर्धारित अनुपात के आधार पर वितरित की जाती है, जिसमें प्रत्येक राज्य अपना हिस्सा जोड़ता है और रणनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य योजनाएं तैयार करता है। इन योजनाओं को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर की अधिकार प्राप्त समितियों और केंद्र सरकार के स्तर पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की केंद्रीय गृह मंत्री एवं केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। राज्यों के मुद्दों और

सुझावों पर विचार किया जाता है, और धन के उपयोग की निगरानी की जाती है। समय-समय पर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें प्रगति की समीक्षा करती हैं और चिंताओं का समाधान करती हैं। इसमें सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर प्रमुखता से बात होती है।

असल में, पुलिस बलों को आधुनिक बनाने का यह व्यापक दृष्टिकोण भारत में अपराध के गतिशील और तकनीकी रूप से उन्नत परिदृश्य से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण है।■

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण : मुख्य तथ्य

- **इन योजनाओं के अंतर-संबंधों और पूरकताओं का उपयोग करके कार्यक्रम संबंधी परिणाम प्राप्त करने के लिए, गृह मंत्रालय ने पुलिस को सुसज्जित करने से संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं को एक व्यापक योजना के तहत समेकित किया है।**
- **19. जनवरी, 2022 को, कैबिनेट ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की अंब्रेला योजना को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।**
- **इस योजना में सभी प्रासंगिक उप-योजनाएँ शामिल हैं जो ₹26,275 करोड़ के कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के पुलिस बलों के कामकाज में आधुनिकीकरण और सुधार में योगदान करती हैं।**

ड्रोन तकनीक में सुरक्षा बलों को होना होगा दक्ष

ब्यूरो

बीते कुछ वर्षों में ड्रोन का चलन बढ़ता ही जा रहा है। एक ओर इससे कई प्रकार की सहूलियत हैं, तो दूसरी ओर इसको लेकर सुरक्षा बलों और एजेंसियों को सतर्क रहना होता है। समय की मांग है कि तकनीक में सुरक्षा बलों को दक्ष होना बेहद जरूरी है। आधुनिक ड्रोन तकनीक सुरक्षा बलों को विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी के लिए अत्यधिक सहायक हो सकती है। मसलन, सीमा सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, आपातकालीन परिस्थितियों की निगरानी, और नैतिकता से विचार करते हुए निगरानी आदि। कई मौकों पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भी इसकी प्रासंगिकता और इससे जुड़े प्रशिक्षण पर ध्यान आकृष्ट कराया है। ड्रोन का अर्थ मुख्य रूप से एक रिमोट कंट्रोल या कंप्यूटर द्वारा निर्देशित मानवरहित उपकरण है। इनका उपयोग रक्षा, निगरानी और आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, भू-स्थानिक मानचित्र, खनन, हवाई फोटोग्राफी और सिनेमैटोग्राफी आदि क्षेत्रों में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।

सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के प्रति केंद्र सरकार कटिबद्ध है। 26 सितंबर,2023 को पंजाब के अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना में सबसे अधिक जवान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से आते हैं। जल्द ही हमारी सीमाओं पर एंटी-ड्रोन प्रणाली की तैनाती होगी।

दरअसल, ड्रोन सीमाओं के निगरानी और सुरक्षा में मदद कर सकते हैं, जिससे अवैध आवास और संग्रहणों का पता चल सकता है। ड्रोन अपराध की गतिविधियों पर निगरानी कर सकते हैं और अपराधियों को पकड़ने में सहायक हो सकते हैं। ड्रोन आपातकालीन परिस्थितियों में सहायक हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवादी हमलों या संकटों में निगरानी और सहायता प्रदान करते हुए। इतना ही नहीं, ड्रोन सूचना संग्रहण और गहरी सूचना तक पहुंच में मदद कर सकते हैं।

घुसपैठ , नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस काम में ड्रोन से निगरानी बेहद कारगर है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर कई राज्यों की पुलिस अब ड्रोन का बेहतद उपयोग कर रही है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पेशेवर प्रशिक्षकों की भी मदद ली जा रही है। कुछ महीने पहले जब राजधानी नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय भी सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन का बेहतर इस्तेमाल किया था।

बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) में तैनात भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता की थी। उसमें भी इस आशय को लेकर बात कही थी। इस चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा और श्री निशीथ प्रामाणिक, केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला, निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो, श्री तपन डेका और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। उन्होंने कहा था कि सभी सीएपीएफ का भौगोलिक क्षेत्र और भूमिका अलग-अलग हो सकती है, लेकिन उनकी समस्याएं और समाधान एक ही हैं, जिन पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करने की जरूरत है। सीएपीएफ जवानों की कर्तव्य निष्ठा और सतर्कता के कारण ही देश का आम नागरिक सुरक्षित महसूस करता है और चैन की नींद सोता है। श्री शाह ने कहा कि एक ओर, पुलिस प्रशासन और सशस्त्र पुलिस बलों से आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की उम्मीद की जाती है, वहीं दूसरी ओर, सरकार पुलिस और सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी सुनिश्चित करती है। ताकि वे अपना कर्तव्य सुचारू रूप से निभा सकें।■

एनआईए को पहले से अधिक सक्षम बनाएगी

ब्यूरो

समय के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय आधुनिकतम तकनीक को अपना रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व नई सीसीएमएस प्रणाली एनआईए को आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों में बेहतर तालमेल करने में सक्षम बनाएगी जिससे न्याय व्यवस्था में सुधार आएगा। सीसीएमएस के विशेष प्रकार के नए वर्जन को एनआईए ने उपयोग करने वालों के अनुकूल, आसानी से तैनात होने वाले एवं कस्टमाइज करने लायक ब्राउजर आधारित सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित किया है।

इस सॉफ्टवेयर को ऐसे समय में लॉन्च किया जा रहा है, जब भारत विभिन्न आतंकवादी संगठनों से बढ़ते खतरों, साइबर-स्पेस, डार्क-वेब, ड्रोन, क्राउडफंडिंग, क्रिप्टो-करेंसी के उपयोग, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफार्मों के व्यापक उपयोग के रूप में नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके साथ ही, आतंकवाद के वित्तपोषण, हथियारों और अन्य आतंकवाद समर्थक गतिविधियों की स्मगलिंग के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

नई डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम

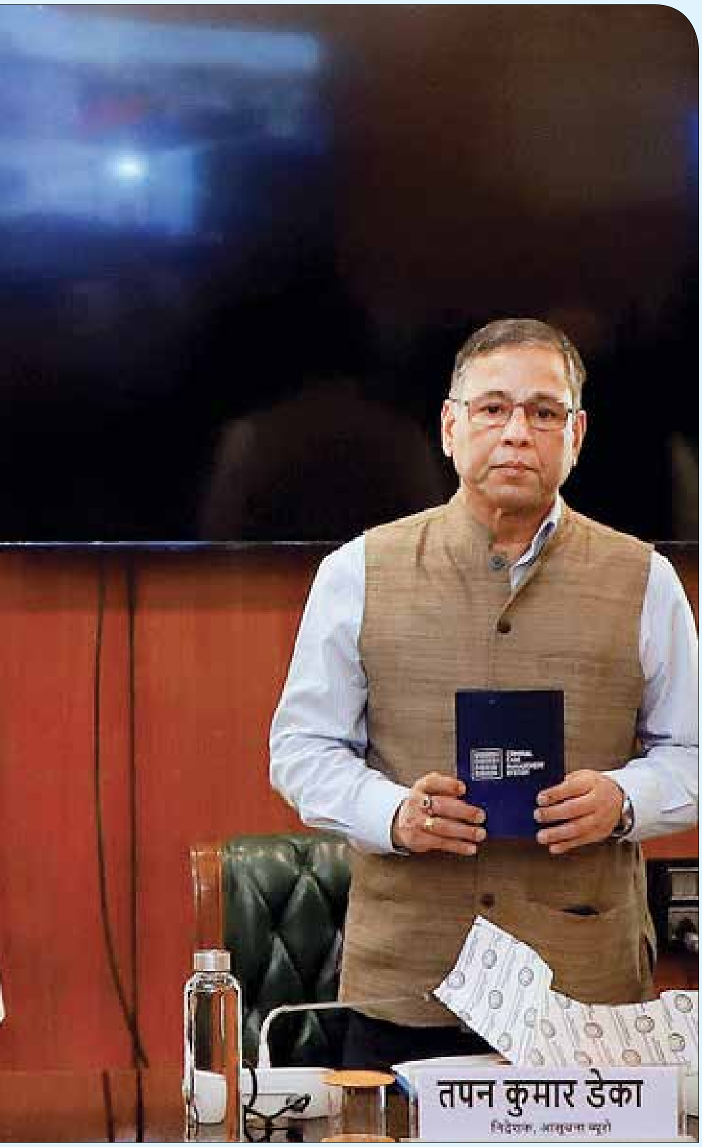

> प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नई डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी को आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ मजबूत बनाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम को उपयोगकर्त्ताओं के अनुकूल ब्राउजर आधारित सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित किया है।
>
> **श्री अमित शाह**
>
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

14 मार्च को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने जम्मू और केरल स्थिति राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दो ब्रांच ऑफिस और रायपुर में एक आवासीय परिसर का ई-उद्घाटन भी किया। समय के साथ चलना और भविष्य की समस्याओं को लेकर पहले ही तैयार रहना इस सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। तीन परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों को नेविगेट करने के लिए, एनसीआरबी ने पुराने और नए कानूनों के बीच एक सेतु के रूप में डिजाइन किए गए 'संकलन' ऐप को तैयार किया है। यह ऐप एक कॉम्प्रिहेन्सिव गाइड के रूप में कार्य करेगा, जो पुराने और नए कानूनी प्रावधानों की विस्तार से तुलना करने में सक्षम है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश की विविध प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 'संकलन' ऐप को ऑफलाइन मोड में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी उपलब्धता सुदूर इलाकों में भी सुनिश्चित की गई है, ताकि सभी हितधारकों को हर समय वांछित जानकारी प्राप्त हो सके। 'संकलन' ऐप, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा और एप्लिकेशन का डेस्कटॉप वर्जन, गृह मंत्रालय व राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा।

नई डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली (सीसीएमएस) को लॉन्च करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने राज्य के पुलिस महानिदेशकों से कहा कि वे प्रभावी और त्वरित जांच एवं अभियानों के लिए नए जमाने के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के पुलिस बलों को जांच के दौरान एकत्रित डेटा, जैसे- केस से जुड़े दस्तावेज, एकत्र किए गए साक्ष्य और अदालत में पेश आरोप-पत्रों को व्यवस्थित, एकीकृत करने और डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2023 में आयोजित 'आतंकवाद निरोधी सम्मेलन' के दौरान गृह मंत्री ने देशभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने पर जोर दिया था, जो राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों को सही तरीके और तालमेल के साथ जांच पूरी करने में सक्षम बनाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि इससे देश भर में संवेदनशील और जटिल मामलों में दोषसिद्धि दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अक्टूबर 2023 में आयोजित 'आतंकवाद निरोधी सम्मेलन' के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने देशभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने पर जोर दिया था, जो राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों को सही तरीके और तालमेल के साथ जांच पूरी करने में सक्षम बनाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि इससे देशभर में संवेदनशील और जटिल मामलों में दोषसिद्धि दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

तनाव मुक्त प्रशिक्षण भी है जरूरी

पुलिस की नौकरी में जिम्मेदारी ज्यादा है, काम का दबाव भी बहुत है और बनाई गई व्यवस्था में वरीय अधिकारियों का प्रेशर भी। जाहिर है, तनाव तो होगा। कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने पुलिस का मानवीय चेहरा देखा है। लाख तनावों के बावजूद हर पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी सराहना की और तनाव मुक्त कार्यशैली की वकालत भी की। इसके लिए पुलिसकर्मी को प्रशिक्षण और बेहतर प्रशिक्षकों की आवश्यकता को भी बताया।

ब्यूरो

समय और परिस्थिति के अनुसार कई चीजों को अपनाना होता है। समय के साथ कुछ चीजें छूट जाती है। समय के अनुरूप जब प्रशिक्षण में भी बदलाव किया जाता है, तो उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं। एक धारणा विकसित की गई थी कि हमें वदीर्धारी कर्मियों से सावधान रहना होगा। लेकिन अब यह बदल गया है। जब लोग अब वदीर्धारी कर्मियों को देखते हैं तो उन्हें मदद का आश्वासन मिलता है। प्रधानमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए नौकरी के तनाव से निपटने में संयुक्त परिवार के घटते समर्थन के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बलों में योग विशेषज्ञों सहित तनाव से निपटने के लिए विशेषज्ञों और विश्राम की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए तनाव मुक्त प्रशिक्षण गतिविधियां समय की आवश्यकता है।' उन्होंने सुरक्षा और पुलिसिंग कार्य में प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में बताया।

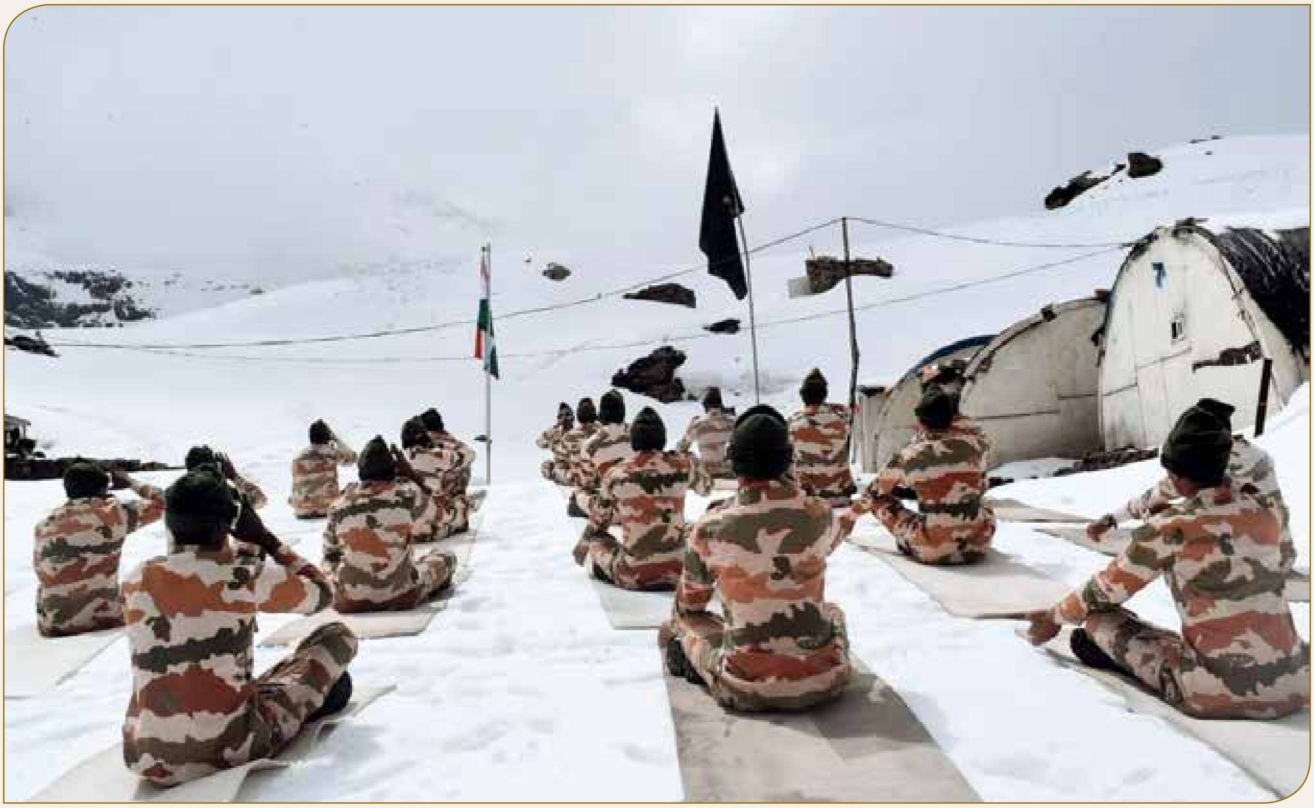

उन्होंने कहा कि अगर अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें भी पकड़ने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी पर जोर देने से दिव्यांग लोग भी इस क्षेत्र में योगदान करने में सक्षम होंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जब 12 मार्च, 2022 को अहमदाबाद में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक भवन को समर्पित करे रहे थे और दीक्षांत भाषण दे रहे थे, तो इन बातों का उल्लेख किया था। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) की स्थापना पुलिस, अपराध संबंधी न्याय और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न अंगों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। सरकार ने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नाम से एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे 2010 में गुजरात सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। अक्टूबर, 2020 से इसका संचालन शुरू किया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि औपनिवेशिक काल के दौरान आंतरिक सुरक्षा की धारणा औपनिवेशिक शासकों के लिए शांति बनाए रखने के लिए जनता में भय पैदा करने पर आधारित थी। इसी तरह, पहले का परिदृश्य बहुत अलग था क्योंकि सुरक्षा बलों के पास तैयारी के लिए अधिक समय था जो अब नहीं है क्योंकि प्रौद्योगिकी तथा परिवहन एवं संचार में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि आज की पुलिसिंग के लिए बातचीत और अन्य सॉफ्ट स्किल्स जैसे कौशल की आवश्यकता होती है जो लोकतांत्रिक परिदृश्य में कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की छवि बदलने की जरूरत पर बल दिया। लोकप्रिय संस्कृति में भी पुलिस का चित्रण इस संबंध में मददगार नहीं है। उन्होंने महामारी के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए मानवीय कार्यों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के बाद, देश के सुरक्षा तंत्र में सुधार की आवश्यकता थी।

बीते वर्षों में कोरोना के दौर में सभी ने मानसिक तनाव को लेकर भी विस्तार से बात किया था। देश भर की पुलिस को अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ा था। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक तनावों से उन्हें दो-चार होना पड़ा था। मार्च, 2022 में जब प्रधानमंत्री गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय भी उन्होंने इसका उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री के अनुसार, हमने कोरोना काल में देखा यूनिफॉर्म में पुलिस के काम करने वाले लोग उनकी कई वीडियो बहुत वायरल हुईं। कोई पुलिसवाला रात को निकलता है, कोई भूखा है उसको खाना खिला रहा है, किसी के घर में लॉकडाउन के कारण दवाइयां नहीं हैं, तो पुलिस के लोग मोटरसाइकिल पर जा करके उनको दवाई पहुंचाते हैं। पुलिस का एक मानवीय चेहरा इस कोरोना कालखंड के अंदर जनसामान्य के मन में उभर रहा था। लेकिन फिर वो चीजें ठहर गईं। ऐसा नहीं कि काम बंद हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने एक नैरेटिव बनाकर रखा हुआ है और जब नकारात्मक वातावरण होता है, तो अच्छा करने की इच्छा होने के बाद भी उसके प्रति मन में निराशा आ जाती है।

एक धारणा विकसित की गई थी कि हमें वर्दीधारी कर्मियों से सावधान रहना होगा। लेकिन अब यह बदल गया है। जब लोग अब वर्दीधारी कर्मियों को देखते हैं तो उन्हें मदद का आश्वासन मिलता है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पारिवारिक माहौल का असर हरेक व्यक्ति के कामकाज पर भी पड़ता है। पुलिस प्रशिक्षण की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने भी माना कि आज का जो जमाना है, परिवार छोटे होते गए हैं। पहले तो क्या था, पुलिसवाला भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करके थक कर घर जाता था, तो एक बड़ा संयुक्त परिवार होता था, तो मां संभाल लेती थी, पिताजी संभाल लेते थे, दादा-दादी कभी घर में हैं तो संभाल लेते थे, कोई भतीजा संभाल लेता था। कोई भी सदस्य संभाल लेता था, तो मन से हल्का हो जाता था और दूसरे दिन तैयार होकर चला जाता था। आज वह एकल परिवार की संख्या अधिक हो रही है।

जवान कभी 6 घंटे नौकरी, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 16 घंटे और बड़ी विपरीत परिस्थिति में नौकरी करता है। फिर घर जाएगा, घर में तो कोई है ही नहीं। ऐसे समय तनाव की अनुभूति हमारे सुरक्षा बल के क्षेत्रों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है। ऐसे समय में तनाव मुक्त प्रशिक्षण सुरक्षा क्षेत्र के लिए अत्यावश्यक हो गई है। आज पुलिस बेड़े में भी बहुत बड़ी मात्रा में योग और तनाव से राहत दिलाने वाले तकनीकी शिक्षकों की आवश्यकता को बताया।

अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कभी-कभी लगता था कि रक्षा मतलब यूनिफॉर्म है, पॉवर है, हाथ में डंडा है, पिस्तौल है। आज वो जमाना चला गया है। आज रक्षा के क्षेत्र ने अनेक रंग-रूप ले लिए हैं, इसमें अनेक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। पहले के समय कहीं एक जगह पर घटना होती थी तो उसकी खबर गांव के दूसरे कोने में पहुंचते-पहुंचते घंटे लग जाते थे। दूसरे गांव में पहुंचते-पहुंचते तो दिन लग जाते थे और पूरे राज्य में पहुंचते-पहुंचते 24 घंटे, 48 घंटे लग जाते थे, और उस दरम्यान पुलिस बेड़ा अपनी व्यवस्थाएं कर लेता था, चीजों को संभाल पाता था। आज तेज गति से पल भर में कम्युनिकेशन होता है, चीजें फैल जाती हैं। इसलिए हर इकाई में विशेषज्ञ चाहिए, हर इकाई में सामर्थ्य चाहिए, हर इकाई में उस प्रकार के बल चाहिए। तब जा करके हम स्थितियों को संभाल सकते हैं और इसलिए संख्या बल से ज्यादा-ज्यादा प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत है, जो हर चीजों को संभाल सके। जो टेक्नोलॉजी को भी जानता हो, जो टेक्नोलॉजी को भी फोलो करता हो, जो ह्यूमन साइकी भी जानता हो।

गांधीनगर क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रक्षा विश्वविद्यालय और फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय हैं। उन्होंने इन संबंधित क्षेत्रों में समग्र शिक्षा कायम करने को लेकर नियमित संयुक्त संगोष्ठियों के माध्यम से इन संस्थानों के बीच तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। ■

बेहतर कल के लिए करें इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश

ब्यूरो

हम में बेहतर कल के लिए आज रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (लचीले बुनियादी ढांचे) में निवेश करना चाहिए। विश्व सामूहिक रूप से तभी रेजिलिएंट हो सकता है, जब प्रत्येक देश व्यक्तिगत रूप से रेजिलिएंट हो। शेयर्ड रेजिलिएंस हासिल करने के लिए, हमें सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करना चाहिए।

इस आशय को लेकर प्रधानमंत्री ने उस समय बात की, जब वे 24 अप्रैल को वीडियो संदेश के माध्यम से छठे अंतरराष्ट्रीय आपदा-रोधी अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जहां होने वाली क्षति का मूल्यांकन आमतौर पर डॉलर में किया जाता है, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लोगों, परिवारों और समुदायों पर इसका वास्तविक प्रभाव संख्याओं से परे है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मनुष्यों पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया और उल्लेख किया कि भूकंप के कारण घर नष्ट हो जाते हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पानी और सीवेज प्रणालियां बाधित हो जाती हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया जो ऊर्जा संयंत्रों को प्रभावित कर सकती हैं जिससे संभावित खतरनाक स्थितियां पैदा हो सकती हैं।

यह रेखांकित करते हुए कि प्रकृति और आपदाओं की कोई सीमा नहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदाएं और व्यवधान अत्यधिक परस्पर जुड़े हुए विश्व में व्यापक प्रभाव पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, 'दुनिया सामूहिक रूप से तभी रेजिलिएंट हो सकती है, जब प्रत्येक देश व्यक्तिगत रूप से रेजिलिएंट हो।' उन्होंने साझा जोखिमों के कारण साझा लचीलेपन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सीडीआरआई और यह सम्मेलन दुनिया को इस सामूहिक मिशन के लिए एक साथ आने में मदद करेगा।

इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, 'हमें बेहतर कल के लिए आज रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहिए।' उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आपदा के बाद के पुनर्निर्माण का हिस्सा होने के साथ-साथ नए बुनियादी ढांचे के निर्माण में रेजिलिएंस को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बताया कि आपदा आने के बाद राहत और पुनर्वास कार्य शुरू होने के बाद बुनियादी ढांचे में लचीलेपन की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'साझा रेजिलिएंस हासिल करने के लिए, हमें सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करना चाहिए।' आपदाओं के उच्च जोखिम वाले छोटे द्विपीय विकासशील देशों का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री श्री मोदी

विश्व सामूहिक रूप से तभी सशक्त हो सकता है, जब प्रत्येक देश व्यक्तिगत रूप से सशक्त हो। साझा रूप से सशक्त होने के लिए, हमें सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करना चाहिए।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ने ऐसे 13 स्थानों पर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सीडीआरआई कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने डोमिनिका में लचीले आवास, पापुआ न्यू गिनी में लचीले परिवहन नेटवर्क और डोमिनिकन गणराज्य और फिजी में उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का उदाहरण दिया। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि सीडीआरआई का फोकस ग्लोबल साउथ पर भी है।

प्रधानमंत्री ने भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान चर्चा के केंद्र में वित्तपोषण के साथ एक नए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के गठन को याद करते हुए कहा कि इस तरह के कदम सीडीआरआई के विकास के साथ-साथ दुनिया को एक रेजिलिएंट भविष्य की ओर ले जाएंगे।■

बदलते मौसम में हर नागरिक की चिंता

ब्यूरो

भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों को देखते हुए समय पूर्व तैयारी करना लोकतांत्रिक सरकार की प्राथमिकता होती है। जन सरोकार से लबरेज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गर्मी मौसम शुरू होते ही सभी लोगों की चिंता में संबंधित विभागों को व्यापक तैयारियों का निर्देश दिया था।

प्रधानमंत्री को आगामी महीनों में गर्म मौसम (अप्रैल से जून) के पूर्वानुमान सहित अप्रैल से जून, 2024 की अवधि के दौरान देश के अधिकांश हिस्सो में विशेष रूप से मध्य भारत और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना, से जुड़ी जानकारी प्रदान की गई। आवश्यक दवाओं, आइस पैक, ओआरएस और पेयजल के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया जैसे सभी प्लेटफार्मों के माध्यम से विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में आवश्यक आईईसी/जागरूकता सामग्री के समय पर प्रसार पर जोर दिया गया। 2024 में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की सभावना और इस दौरान होने वाले आम चुनावों को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एनडीएमए द्वारा जारी की गई सलाह का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए और व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए।

बैठक में प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी पर जोर दिया। बाद में उन्होंने बैठक के बारे में बताते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट भी शेयर किया। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि देश के विभिन्न हिस्सों में लू की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। हमने स्वास्थ्य देखभाल क्षमता बढ़ाने, जागरूकता फैलाने आदि से संबंधित पहलुओं की समीक्षा की।

11 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लू संबंधी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर जोर दिया; अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ-साथ जागरूकता सृजन के महत्व पर भी बल दिया।

प्रधानमंत्री ने संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकार के सभी अंगों और विभिन्न मंत्रालयों को इस पर तालमेल के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ-साथ जागरूकता सृजन पर भी जोर दिया। उन्होंने जंगल की आग का त्वरित पता लगाने और उसे बुझाने की आवश्यकता पर भी जौर दिया।

बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने भाग लिया।

सीमा की सुरक्षा और सामाजिक सरोकार भी

सीमा की सुरक्षा करने वाले कर्मियों के कार्य बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। साल 2014 से अब तक एक लाख 75 हजार रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती हुई। इससे एक ओर सशस्त्र सीमा बल के प्रहरी मुस्तैद हैं, तो दूसरी ओर युवाओं को रोजगार के नए अवसर सुलभ हो रहे हैं।

ब्यूरो

सशस्त्र सीमा बल भारत-नेपाल एवं भारत भूटान सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न बाहरी और आंतरिक सुरक्षा कार्यों को संभालता है, जैसे कि सीमा पर घुसपैठ की रोकथाम, निगरानी गतिविधियों का नियंत्रण, और आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ निरोध। यह भारतीय सीमा और उसके नागरिकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सशस्त्र सीमा बल के जवान और अधिकारी अपने शौर्य और समर्पण के लिए प्रशंसा के पात्र हैं और उनके योगदान के बिना देश की सीमाओं की सुरक्षा संभव नहीं होती।

सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सशस्त्र सीमा बल एक ऐसा अनूठा संगठन है, जिसने सीमाओं की सुरक्षा तो की ही है, दुर्गम क्षेत्रों में आतंकवादियों और नक्सलियों का सामना भी किया है। साथ ही भारत-नेपाल और भारत-भूटान के सीमावर्ती इलाकों के सभी गांवों के सांस्कृतिक, भाषायी, भौगोलिक और इतिहास की सारी जानकारियों को बारीकी से संजोने का काम भी किया है। केंद्रीय गृह एवं

सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 20 जनवरी को असम के तेजपुर में सशस्त्र सीमा बल के 60वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया था।

अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल का इतिहास सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मंत्र से सुसज्जित है। भारत-चीन युद्ध के पश्चात 1963 में सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जब 'वन बॉर्डर, वन फोर्स' की नीति को अमल में लेकर आए, तब से सशस्त्र सीमा बल बहुत ही कर्तव्यपरायणता के साथ वर्ष 2001 से भारत-नेपाल सीमा और वर्ष 2004 से भारत- भूटान

सीमा की सुरक्षा कर रही है। सशस्त्र सीमा बल 2,450 किलोमीटर लंबी खुली सीमाओं की रखवाली पूरी तत्परता के साथ कर रही है और वन हो या पहाड़, नदी हो या पठार, सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने किसी भी प्रकार के मौसम में ड्यूटी के साथ कभी समझौता नहीं किया है।

समय बदल रहा है। सरकार की ओर से वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अब सीमा की सुरक्षा के साथ सुरक्षा बलों को सामाजिक सांस्कृति रूप से भी सजग रहना होता है। ऐसे में सशस्त्र सीमा बल अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। स्वयं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भी बल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस अनूठे काम से ऐसे सभी गांवों को उनके सांस्कृतिक और भाषायी इतिहास से देश के साथ जोड़ने में मदद तो मिलती है साथ ही जहां-जहां सीमा विवाद हैं, वहां भारत के दावे को पुष्ट और मजबूत करने में भी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारत की सीमाओं की सांस्कृतिक एकता बनाए रखने और विवादित क्षेत्रों में भारत के दावों को मजबूती देने के लिए सशस्त्र सीमा बल के बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले इन कार्यों का बहुत उपयोग है और इससे देश को बहुत फायदा भी हुआ है। सशस्त्र सीमा बल भी गांवों के संपूर्ण विकास के लिए 100 प्रतिशत सैचुरेशन के साथ अच्छा काम कर रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में सशस्त्र सीमा बल ने बड़ी भूमिका अदा की है। सशस्त्र सीमा बल ने गांवों के लोगों को सीमा सुरक्षा में भागीदार बनाने का भी अच्छा मॉडल तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल की सभी इकाइयां दूध, पनीर, फल, सब्जियां और श्री अन्न को स्थानीय गांवों से खरीद रही हैं, जो गांव में रोजगार और आर्थिक उन्नति की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास है। इसके साथ-साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और आजादी का अमृत महोत्सव के क्षेत्र में भी सशस्त्र सीमा बल ने अच्छा काम किया है। वृक्षारोपण अभियान को गति देने के लिए 5 साल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के माध्यम से 5 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाए गए हैं।

सीमाओं की सुरक्षा करते हुए सशस्त्र सीमा बल ने कई उल्लेखनीय काम किये हैं। सशस्त्र सीमा बल ने बीते एक वर्ष के भीतर पांच हजार से ज्यादा तस्करों, 24 हजार किलोग्राम मादक द्रव्यों, 144 हथियारों और भारी मात्रा में गोला-बारूद की जब्ती की है और लगभग 500 मासूमों को मानव तस्करी से भी बचाया है। सशस्त्र सीमा बल के जवान नेपाल और भूटान जैसे मित्र देशों की सीमा की सुरक्षा करने के साथ-साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं।

इतना ही नहीं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर सशस्त्र सीमा बल ने नक्सल आंदोलन को हाशिये पर लाकर रख दिया है। देश के कई क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों का करीब—करीब सफाया हो चुका है। इन इलाकों में भी सशस्त्र सीमा बल की मौजूदगी रही। केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अगले तीन वर्षों के भीतर नक्सल समस्या से पूरा देश शत-प्रतिशत मुक्त हो जाएगा। उन्होने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना के साथ सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है, बलिदान भी दिए हैं और अपनी वीरता से ऐतिहासिक गाथाओं की रचना भी की है।

खेलों के क्षेत्र में भी सशस्त्र पुलिस बल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में सशस्त्र पुलिस बल ने इस वर्ष 234 पदक जीते हैं। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय ने एक नीति बनाने का निर्णय किया है और जल्द ही यह नीति सामने आएगी। इस नीति का लाभ किस तरह बैरक स्तर तक पहुंचे, इसकी वैज्ञानिक व्यवस्था वे खुद देख रहे और गृह सचिव भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री ने तेजपुर स्थित एसएसबी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सीमा बल के 51 वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके साथ असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वासरमा, केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला सहित सशस्त्र सीमा बल के आला अधिकारी उपस्थित थे। श्रद्धांजलि देने के बाद अपने विचार रखते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले वर्ष ही सशस्त्र सीमा बल के पांच कर्मियों ने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहूति दी। सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों के भरोसे पर ही देश चैन की नींद सोता है। उन्होंने परमवीर चक्र से सम्मानित करम सिंह जी की पुण्य तिथि पर उन्हें याद करते हुए कहा कि करम सिंह जी ने उत्तम बहादुरी का उदाहरण देते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने करम सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में एक द्वीप का नाम करम सिंह आइलैंड रखा है।

लोक शिकायत निवारण में गृह मंत्रालय ने की उत्कृष्टता हासिल

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, गृह मंत्रालय केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करने में लगातार शीर्ष पर रहा है। 2023-24 की अवधि में, गृह मंत्रालय न केवल शीर्ष 10 मंत्रालयों में स्थान पर रहा, बल्कि शिकायत निवारण आकलन सूचकांक (जीआरएआई) के सभी 15 संकेतकों में भी उत्कृष्ट रहा।

मंत्रालय ने केवल 8 दिनों के औसत निवारण समय के साथ 48,837 सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जो कि मानक 30-दिवसीय मानदंड से काफी बेहतर प्रदर्शन है। इस दक्षता के परिणामस्वरूप केवल 10% शिकायतें अपील तक पहुंचीं, जो मंत्रालयों में सबसे कम दरों में से एक थी, और 40% नागरिक संतुष्टि दर हासिल की गई। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) गृह मंत्रालय के प्रदर्शन को अन्य मंत्रालयों और विभागों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में देखता है।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली 24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों के साथ सेवा वितरण मुद्दों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देता है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों को जोड़ता है, और Google Play पर एक स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लिकेशन और UMANG ऐप के माध्यम से पहुंच योग्य है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सालाना लगभग 20 लाख शिकायतें संभालता है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय पेश किए हैं कि प्रत्येक नागरिक की आवाज सुनी जाए और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। सीपीजीआरएएमएस को मजबूत करने के लिए कई उपाय पेश किए हैं। इनमें गहन विश्लेषण के लिए डैशबोर्ड की निगरानी, सेवोत्तम योजना के तहत क्षमता निर्माण और सिस्टम की क्षमता बढ़ाने के लिए एआई-सक्षम प्रौद्योगिकी का एकीकरण शामिल है। मूल कारण विश्लेषण करने और प्रणालीगत सुधारों को लागू करने के लिए एक डेटा रणनीति इकाई की स्थापना की गई है, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी और शिकायतों का तेजी से समाधान होगा।

सीपीजीआरएएमएस को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे नागरिकों की शिकायतों का तेजी से और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित हो सके। सरकार की यह प्रतिबद्धता नागरिकों की भागीदारी और विश्वास को मजबूत करती है, और सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाती है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक शिकायत निवारण के लिए लगातार शीर्ष 10 मंत्रालयों में स्थान बनाया है, जिसने 2023-24 में केवल 8 दिनों के औसत समाधान समय के साथ 48,837 मामलों को हल किया है। यह अनुकरणीय प्रदर्शन अन्य मंत्रालयों के लिए एक मानक स्थापित करता है, जो सीपीजीआरएएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुशल और उत्तरदायी सेवा वितरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

शिकायत निवारण में सुधार के दस चरणों में से, सीपीजीआरएएमएस अब सभी अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होकर भाषा बाधाओं को तोड़ता है, जीआरएआई के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को बेंचमार्क करता है, मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और गुणवत्ता मापने के लिए एक फीडबैक कॉल सेंटर है। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न शिकायत पोर्टलों को एकीकृत करता है और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ग्रामीण भारत में अपनी पहुंच का विस्तार करता है।

शिकायत निवारण में गृह मंत्रालय का असाधारण प्रदर्शन अन्य केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए सीपीजीआरएएमएस के उद्देश्यों को प्राप्त करने और नागरिकों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए अपने आंतरिक समाधान तंत्र की समीक्षा, सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में कार्य करता है।

पुलिस प्रशिक्षण: बढ़ती दक्षता के लिए परिवर्तनों से गुजरना

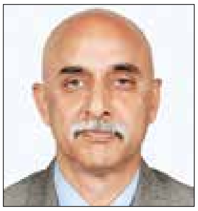

अतुल करवाल

भारत में पुलिस प्रशिक्षण आधुनिक प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को एकीकृत कर पारंपरिक पुलिसिंग सिद्धांतों के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इन प्रगतियों का लक्ष्य प्रोफेशनल, कुशल और संवेदनशील पुलिस बल बनाना है, जो आधुनिक युग की जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। निरंतर अपडेट, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कल्याणकारी उपायों के साथ, भारत कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध एक मजबूत और उत्तरदायी पुलिस प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

पुलिस प्रशिक्षण एक बार की नहीं, बल्कि निरंतर व्यावसायिक आवश्यकता है। दक्षताओं के निर्माण के लिए उपयुक्त सीखने के माहौल में सावधानीपूर्वक चयनित तरीकों के माध्यम से अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा किसी व्यक्ति की प्रभावशीलता को विकसित किया जाता है, एक तरह से यह बीज रोपण जैसा है, जो ज्ञान प्रदान करने के समानांतर सही दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार परिवर्तन के कौशल विकास में योगदान करता है।

विभिन्न परतों के तहत प्रशिक्षण प्रदान दिया जाता है। उदाहरण के लिए, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को उनके संबंधित राज्यों के कैडर में भेजे जाने से पहले प्रशिक्षण देने वाला प्रमुख संस्थान है। इसे 15 सितंबर 1948 को स्थापित किया गया था। यह अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अलावा, अकादमी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित करती है। यह राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण और सभी स्तरों के पुलिस अधिकारियों के लिए पेशेवर विषयों पर विशेष विषयगत पाठ्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित करती है। अकादमी आवश्यकतानुसार पुलिस के अलावा अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित करता है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो भी पुलिस प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ब्यूरो 28 अगस्त, 1970 को स्थापित किया गया था। यह देश भर में पुलिस की प्रशिक्षण की सभी आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाता है। क्षमता निर्माण पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सबसे महत्वपूर्ण अधिदेशों में से एक है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ अपने सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो आधुनिक पुलिसिंग चुनौतियों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम साझा करता है और संचालित करता है। यह पुलिस में विभिन्न रैंकों के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों को भी सेवाएं प्रदान करता है। ब्यूरो विदेशों में भारतीय पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण का समन्वय कार्य भी करता है।

वर्ष 2022 में, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने सीधे भर्ती किए गए पुलिस उप-निरीक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया और इसे मार्गदर्शन के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया। वर्तमान में, पुलिस में सीधे भर्ती किए गए तीन रैंकों, अर्थात पुलिस उपाधीक्षक, सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए बुनियादी प्रशिक्षण के मॉडल पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए व्यापक अभ्यास भी चल रहा है। पुलिस बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को पूरा करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण प्रक्रियाओं, बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भी लगातार समीक्षा की जा रही है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पुलिस प्रशिक्षण में उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। 'मिशन कर्मयोगी' पहल सभी पुलिस कर्मियों के लिए समग्र प्रशिक्षण दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इस प्रशिक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकियों, व्यवहार मनोविज्ञान, सामुदायिक जुड़ाव एवं कमजोर वर्गों और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने आईजीओटी (iGOT) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पॉक्सो, बातचीत कौशल, तीन नए आपराधिक कानूनों आदि पर छह ई-मॉड्यूल तैयार कर प्रकाशित किए हैं।

प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस भी पुलिस बलों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस बल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आम चुनौतियों से निपट सकते हैं और अपराधियों से आगे रह सकते हैं। राज्यों में शासन और पुलिस व्यवस्था में विविधता के बावजूद, आम चुनौतियों के जवाब में एकरूपता महत्वपूर्ण है। यह इन मुद्दों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही समन्वित प्रयासों और नीति एकरूपता को बढ़ावा देता है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, जांच और अभियोजन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को समझने और उपयोग करने और पुलिस प्रणाली में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नई पहल को लागू करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस बलों और अधिकारियों को नए आपराधिक कानूनों पर उन्मुख करने के लिए देश भर में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसका प्रशिक्षण न्याय प्रणाली के पदाधिकारियों सहित अन्य सभी हितधारकों के लिए सावधानीपूर्वक किया जा रहा है। यह जानकर भी खुशी हो रही है कि पुलिस बल को संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी)

'निश्चय : एक पहल' के अंतर्गत आई. टी. बी. पी. महानिदेशालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। #ITBP के फेसबुक और यूट्यूब चैनल तथा टीवी पर वन्दे गुजरात चैनल-1 के माध्यम से सभी फील्ड फॉर्मेशनों के कार्मिकों ने विशेषज्ञों को सुना और लाभ उठाया।

मिजोरम में 26 अप्रैल को असम राइफल्स ने एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 200 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में एकता की भावना पैदा करने और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था।

प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव श्री पी के मिश्रा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने 20 अप्रैल को सीमा सुरक्षा बल गुजरात फ्रंटियर, मैंग्रोव लर्निंग सेंटर (पडाला) और सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (भावनगर) के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। यात्रा के दौरान, अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी सीमा पर सामान्य सुरक्षा परिदृश्य, मैंग्रोव के महत्व, समुद्री शैवाल वृक्षारोपण और तटीय क्षेत्रों में खेती और प्रगति पर विभिन्न विकासात्मक कार्यों के बारे में जानकारी ली।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

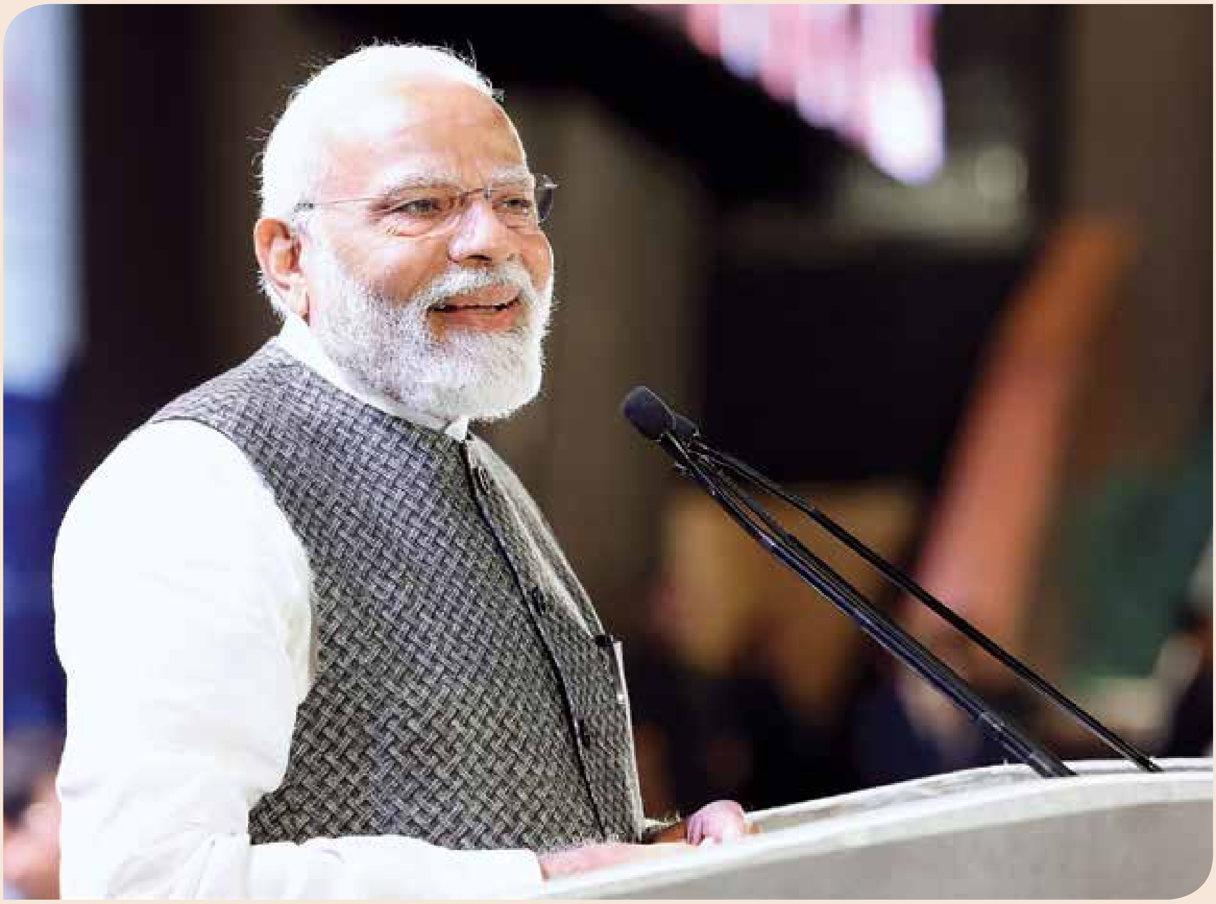

देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए तनाव मुक्त प्रशिक्षण गतिविधियां समय की आवश्यकता है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,

नई दिल्ली-110037